

13/08/25


पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभयपक्ष उप0। प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 29.01.1966 ग्राम पंचायत पाटन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट्स ने अपने प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 29.01.1966 ग्राम पंचायत पाटन में अंकित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि में अपीलार्थी के बुजुर्गों के श्मशान डेढ़ बीघा भूमि यानि 0.3750 है0 में पृथक् कर रखी थी उक्त डेढ़ बीघा भूमि के आसपास की भूमि का विक्रय अपीलार्थी के बुजुर्गों द्वारा किया गया था किन्तु रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 ता 3 ने मिलीभगत करके अपीलार्थी पक्ष को सूचना दिए बिना नामान्तरकरण सं0 33 भरकर तस्दीक कर दिया गया जो अवैध एवं प्रभावशून्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 29.01.1966 ग्राम पंचायत पाटन स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 33 अपास्त फरमाये जाने की कृपा करें। वकील अपीलान्ट्स की बहस के प्रत्युत्तर में रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 ने अपीलान्ट के अभिकथनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 29.01.1966 ग्राम पंचायत पाटन में दर्ज भूमि का विक्रय अपीलान्ट के बुजुर्गों के द्वारा जरिये विक्रय लेख किया गया है। उक्त विक्रय लेख का हल्का पटवारी पाटन के द्वारा नामान्तरकरण भरा गया व ग्राम पंचा0 पाटन के द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था व उक्त विक्रय की गई भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में क्रेतागण के नाम से दर्ज हो गयी व क्रेतागण काबिज काशत खातेदार चले आ रहे हैं। लेकिन अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील में उपरोक्त भूमि के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि उक्त भूमि के सभी खातेदारान इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं जिनके हित उक्त नामान्तरकरण से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सभी खातेदारान की सुनवाई किये बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट के बुजुर्गान द्वारा भूमि के विक्रय किया जाने व उक्त भूमि का नामान्तरकरण क्रेतागण के पक्ष में दर्ज किया जाने के करीब 58-59 वर्ष बाद उक्त प्रकरण अपीलान्ट व अपीलान्ट के बुजुर्गान की जानकारी में होने के बाद ये अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील को मय हर्जा खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा दस्तावेजात एवं जवाब रेस्पोडेन्ट सं0 1 का अवलोकन किया गया तथा बहस वकूलाय उभयपक्ष पर

सगौर मनन किया गया। चूंकि अपीलान्ट का यह कथन गलत प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत पाटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.1966 की जानकारी होते ही यह अपील पेश की गई है। ग्राम पंचायत के निर्णय के विरुद्ध दिनांक 20.07.2018 अर्थात लगभग 53 वर्ष बाद यह अपील पेश की गई है। 1998 डी0एन0जे0राज0 767 पर यह अवधारित है कि "In every suit or application, if limitation is prescribed, the question of limitation is to be considered first, even if the dispute is not raised."

विवादित नामान्तरकरण सं0 33 अपीलान्ट के बुजुर्गान द्वारा क्रेतागण के पक्ष में किए गए विक्रय लेख के संबंध में हैं तथा अपीलान्ट ने समस्त खातेदारान का हित निहित होते हुए भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 29.01.1966 ग्राम पंचायत पाटन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजवीर सिंह यादव)  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सांकर)

